

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (युप-1) विभाग

Final

क्रमांक:प.18(1)एमई/युप-1/2007

जयपुर, दिनांक: E-9 JUN 2010

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज,
जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा।

प्रधानाचार्य,
राजकीय दन्त महाविद्यालय,
सुभाष नगर, जयपुर।

विषय:- केन्द्रीय क्रय समिति के गठन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार ने इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.04.2008 व आदेश दिनांक 16.10.2009 तथा 10.11.2009 के द्वारा गठित क्रय समिति को निरन्तर नहीं रखे जाने का निर्णय लिया है। अतः इस विभाग के समसंख्यक आदेश 11.04.2008 व दिनांक 16.10.2009 एवं आदेश दिनांक 10.11.2009 तुरन्त प्रभाव से Withdraw किये जाते हैं। उपकरण एवं अन्य सामग्री की खरीद पूर्वानुसार प्रधानाचार्य अपने स्तर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार यथासमय करवाये जाने की व्यवस्था करते हुए सुनिश्चित करें कि आयोजना/गैर आयोजना मदों में स्वीकृत राशि का उपयोग समय पर हो।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.01.2005 के द्वारा गठित राज्य स्तरीय विभागीय क्रय समिति यथावत रहेगी।

भवकीय,

(छाया भटनागर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. रक्षित पत्रावली।

जाति
9/16

8/6/10
(जी.एल. विजय)
शासन सहायक सचिव

Rajoukh
L3